

प्ररूप 4-क
(देखिए नियम 26 (3) तथा 27)

कृप्या अपना पासपोर्ट साईज
नवीनतम
फोटो यहां चस्पा दें

..... (ग्राम पंचायत/पंचायत
समिति/जिला परिषद) के वार्ड संख्याब्लाक
.....जिला के निर्वाचन लिए
रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र सहित शपथ
प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाएगा ।

भाग - क

मैं..... **पुत्र/पुत्री/पत्नी.....आयु.....वर्ष,
जो..... (डाक का पूरा पता लिखें) का/की
निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ करती हूँ, शपथ पर
निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं.....;.....(**राजनैतिक दल का नाम)
द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम.....(ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद) में वार्ड नं0
के कम सं0.....पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं0.....है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)
.....है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की स्थिति:

कम सं0	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं			
2.	पति /पत्नी			
3.	आश्रित-1			
4.	आश्रित-2			
5.	आश्रित-3			

(5) मैं ऐसे किसी भी लम्बित मामला/मामले में जिसमें छः माह या इससे अधिक के कारावास या दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी किसी ऐसे अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-

(i) निम्नलिखित मामला (मामलें) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें छः माह या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या (संख्याएं) सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	
(घ)	न्यायालय/न्यायालयों जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप/आरोपों विरचित किए गए थे	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय /न्यायालयों द्वारा रोकी गई है/हैं	

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामले से भिन्न]-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाईल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	

(6) मुझे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 175 कि उप-धारा (1) के खंड (क) के उपखण्ड (i) और (ii) में निर्दिष्ट किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और छः मास या इससे अधिक के लिए कारावास या दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	
(ग)	अधिरोपित दंड	
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान स्थिति।	

(7) मैं स्वयं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (चल और अचल इत्यादि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. चल आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को दर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों भी दी जानी है।

टिप्पण 2– जमा/विनिधान की दशा में, कम सं०, रकम, जमा की तिथि, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए गए हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में खाते के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4– यहां आश्रित का वही अर्थ है जैसा उसके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (v) में नियत किया गया है।

टिप्पण 5– रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं:-

कम सं०	विवरण	स्वयं	पति/ पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम					
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा राशि					
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्ररीकरण संख्या आदि कय करने का वर्ष और राशि)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावे/हित का मूल्य					
(ix)	सकल कुल मूल्य					

ख. अचल आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण: 1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को दर्शित करते हुए संयुक्त स्वामित्व में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण: 2 प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

कम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3

(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में कय की तारीख					
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)					
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख					
	(कय की दशा में) कय के समय भूमि की लागत					
	विकास, सनिर्माण इत्यादि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख					
	(कय की दशा में) कय के समय भूमि की लागत					
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय					

	की तारीख					
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)					
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य					

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ देयों के ब्यौरे यहां नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, हस्ती या व्यष्टि के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष राशि के ब्यौरों का पृथक विवरण दे)

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय					
	बैंक या वित्तीय संस्था/संस्थाओं के नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	उपरोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य वैयष्टिक, हस्ती को ऋण या देय					
	नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य दायित्व					
	दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी देय:					
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को देय					
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को देय					
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को देय					
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध					
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हैलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को देय					
	आय-कर देय					
	धन कर देय					

	स्वा कर देय					
	नगरपालिका/संपत्ति कर देय					
	विक्रय कर देय					
	कोई अन्य देय					
(iii)	सभी सरकारी देयों का कुल योग					
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि इस प्रकार अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का उल्लेख करें।					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं.....

(ख) पति या पत्नी.....

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

.....
 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमति/कु.
2.	डाक का पूरा पता	
3.	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की संख्या, नाम व वार्ड संख्या	
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	
5.	(i) लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें छः माह या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है उपरोक्त मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न	

6.	कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया हो और छः माह या उससे अधिक के लिए कारावास से दंडित किया गया है।					
7.		...पैन	वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी					
	(ख) पति/ पत्नी					
	(ग) आश्रित					
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे रूप में					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	चल आस्तियां (कुल मूल्य)					
ख.	अचल आस्तियां					
	I.	स्वार्जित अचल संपत्ति की कय कीमत				
	II	कय के पश्चात अचल संपत्ति की विकास/ <u>सर्निमाण</u> लागत (यदि लागू हो)				
	III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत				
		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)				
9.	दायित्व					
	(i)	सरकारी शोध				
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)				
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी देय (कुल)				

	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता:- (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम, विद्यालय/ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, के पूर्ण रूप से उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें।)						

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:

- (क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्ध का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:
- (ख) मैं, मेरे पति /पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आरित या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है ।

आज के दिन -----को सत्यापित किया गया ।

अभिसाक्षी

- टिप्पण: 1 शपथपत्र नामांकन पत्रों की जांच की तारीख वाले दिन 3 बजे से पहले तक फाईल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 2 पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड रहे अभ्यर्थियों के मामले में जो प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा उच्च न्यायलय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त अथवा क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले उपमंडल अधिकारी (नागरिक) / तहसीलदार /नायब तहसीलदार (जिसे कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गईं हों) के सम्मुख शपथ पत्र पर प्रस्तुत की जायेगी ।
- टिप्पण: 3 पंच व सरपंच पद के लिए चुनाव लड रहे अभ्यर्थियों के मामले में सूचना सादे कागज पर तैयार कर देनी होगी ।
- टिप्पण:4 सभी कालम भरे जाने चाहिए और कोई कालम खाली न छोड़ें यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थिति "शुन्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 5 शपथपत्र/घोषणा टंकित या सुपाठ्यरूप तथा साफ साफ लिखित होना चाहिए।

प्रेषक

वार्ड संख्या _____ ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति/जिला परिषद
_____ के लिये रिटर्निंग अधिकारी।

सेवा में

(उम्मीदवार का नाम)

विषय :- वार्ड _____ से _____ पद के लिये निर्वाचन ।

आज दिनांक _____ को आपसे प्राप्त नामांकन पत्र के सन्दर्भ में, आपका नाम, नामांकन रजिस्टर में क्रम संख्या _____ पर दर्ज किया गया है। आपकी जमानत राशि आपको पृथकत जारी की गई रसीद संख्या _____ दिनांक _____ के अन्तर्गत प्राप्त हो चुकी है। नामांकन की संवीक्षा दिनांक _____ को _____ बजे _____ (स्थान) पर की जायेगी।

आपको राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित रजिस्टर में निर्वाचन व्यय लेखा रखना होगा तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जब भी अपेक्षा की जाये, इसे निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के पश्चात एक मास के अन्दर-अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा उपायुक्त-एवं-जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित अनुसार किसी अन्य अधिकारी को दोहरी प्रति में प्रस्तुत करना होगा ।

रिटर्निंग अधिकारी

तारीख :

स्थान :

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) /
सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)